CJI ने प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण बेंचों का समर्थन किया

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

- भारत के मुख्य न्यायाधीश ने मुंबई में नवीन प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) परिसर के उद्घाटन के दौरान **भारत के बढ़ते बाज़ारों और वित्तीय लेनदेन** के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये अतिरिक्त प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) बेंचों की आवश्यकता पर बल दिया है।
- मुख्य न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण को प्रभावी ढंग से और पूरी क्षमता से काम करने देने के लिये SAT में रिक्तियों को बिना विलंब आपूर्ति पर बल दिया।
- मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर ज़ोर दिया कि **पर्याप्त सुरक्षा उपायों और प्रभावी विवाद समाधान वाली कानूनी प्रणाली** भारत के बाज़ारों और कारोबारी परिदृश्य में निवेशकों का विश्वास बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिससे बेहतर आर्थिक परिणाम सामने आएँगे।
- SAT एक **वैधानिक निकाय** है जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के तहत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिये की गई थी।
- SAT में **एक पीठासीन अधिकारी और दो अन्य सदस्य** होते हैं। SAT के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा CJI या उनके द्वारा नामित व्यक्ति के परामर्श से की जाती है।
    - इसके पास पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) तथा भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा उनके संबंधित अधिनियमों, नियमों और विनियमों के तहत पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार भी है।
- **और पढ़ें:** प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/cji-advocates-for-more-sat-benches